25.05.2023	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश वैष्णव उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या एक से छः की ओर से अधिवक्ता श्री अमोल कोकने उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या सात से सोलह अनुपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या सत्रह की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार आबूरोड द्वारा नामान्तरकरण संख्या 324 दिनांक 07.10.2014, नामान्तरकरण संख्या 325 दिनांक 20.02.2015 एवं नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 20.03.2014 को निरस्त कराने हेतु रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में पेश की है। अपीलांट द्वारा यह अपील नामान्तरकरण के विरुद्ध इस न्यायालय में विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु अपीलांट ने अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम, 1963 के तहत रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र संख्या 26/2021 में वाद सुनवाई

पश्चात इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2023 के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम 1963 खारिज किया गया है। अतः अपीलांट की यह अपील म्याद बाहर होने से कानूनन पोषणीय नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो।

Bh..

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:31:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner